

ज्ञारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

सं0 सं0-म0नि0-II-उ0यो0-50/2017-18/ 01/20(6) मत्स्य, रॉची, दिनांक 07.06.2021

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0 भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अन्तर्राष्ट्रीय
रूप से
प्रभागीय

महालेखाकार
ज्ञारखण्ड, रॉची।

द्वारा:- योजना-सह-वित्त विभाग (आन्तरिक वित्तीय सलाहकार)।

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजनान्तर्गत 'तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना' के कार्यान्वयन हेतु कुल मो0 3135.61527 लाख (इकतीस करोड़ पैंतीस लाख एकसठ हजार पाँच सौ सताईस) रुपये मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत 'तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार' एक चालू प्रकृति की योजना है, जिसके अंतर्गत विभागीय मत्स्य बीज वितरण, मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति, पोर्टेबल हैचरी एवं विभागीय हैचरियों से स्पॉन उत्पादन, जलाशयों एवं नदियों के छाड़न में in-situ स्पॉन संचयन, जलाशयों में मेजर कार्प तथा ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन, पूर्व अधिष्ठापित केजों तथा विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS में पंगेशियस/GIFT तिलापिया एवं अन्य उपर्युक्त बीज का संचयन, पुराने आर0एफ0एफ0 हेतु इनपुट, नए आर0एफ0एफ0 का अधिष्ठापन, अनुदान पर ग्रो-आउट नेट, गिल-नेट, मोटरचालित नाव, केज हाउस का अधिष्ठापन, केज रिपेयरिंग आदि जैसे कार्य किए जाते हैं।

2. इस योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट शीर्ष-2405-मछली पालन के अन्तर्गत मो0 3200.00 लाख रु0 मात्र का बजटीय उपबंध है, जिसके विरुद्ध राशि मो0 3135.61527 लाख (इकतीस करोड़ पैंतीस लाख एकसठ हजार पाँच सौ सताईस) रुपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो0 3135.61527 लाख (इकतीस करोड़ पैंतीस लाख एकसठ हजार पाँच सौ सताईस) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :-

100

92

d

107

माँग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)
मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-06-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना

क्र०	लघु शीर्ष /विस्तृत शीर्ष	बजट उपबंध (लाख रु० में)	स्वीकृत राशि (लाख रु० में)
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन		
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23 आपूर्ति एवं सामग्री विपत्र कोड 53S24050010106010323	1310.00	1309.9853
	विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियाँ/ईंधन-40 नई मोटरगाड़ी का क्रय विपत्र कोड 53S24050010106010440	10.00	0.00
	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) विपत्र कोड 53S24050010106010543	69.00	47.25
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय विपत्र कोड 53S24050010106010759	11.00	11.00
		उप योग:	1400.00
2	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना		1368.2353
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23 आपूर्ति एवं सामग्री विपत्र कोड 53S24050078906010323	300.00	299.99277
		उप योग:	300.00
3	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना		299.99277
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23 आपूर्ति एवं सामग्री विपत्र कोड 53S24050079606010323	1391.00	1390.8872
	विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियाँ/ईंधन-40 नई मोटरगाड़ी का क्रय विपत्र कोड 53S24050079606010440	10.00	0.00
	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) विपत्र कोड 53S24050079606010543	85.00	62.50
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय विपत्र कोड 53S24050079606010759	14.00	14.00
		उप योग:	1500.00
		कुल योग:	3200.00
			3135.61527

कुल योग मो० 3135.61527 लाख (इकतीस करोड़ पैंतीस लाख एकसठ हजार पाँच सौ सताईस) रु० मात्र।

4. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची/ पश्चिमी सिंहभूम/ पूर्वी सिंहभूम/ गुमला/ लोहरदगा/ पलामू/गढ़वा/ दुमका/साहेबगंज/गोड़ा/धनबाद /बोकारो/हजारीबाग/ गिरिडीह/ देवघर/ चतरा तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला-खरसाँवा/ सिमडेगा/ लातेहार/जामताड़ा/पाकुड़/रामगढ़/खूटी/कोडरमा तथा मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के संलग्न विवरणी के अनुरूप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे। इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि से संलग्न परिशिष्ट-I, II एवं III में उल्लेखित भौतिक लक्ष्यों एवं वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप ही राशि व्यय की जाएगी।

५

८२

१

5. योजना के नियंत्री पदाधिकारी राज्य स्तर पर निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होंगे एवं योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग होंगे।

6. इस योजना में विभागीय प्रक्षेत्रों में कुल 2500 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन मो⁰ 9000/- (नौ हजार) रु० प्रति लाख मत्स्य बीज की अनुमानित दर पर किया जायेगा। लघु शीर्ष-789 में उत्पादित 300 लाख मत्स्य बीज का 80 प्रतिशत् अर्थात् 240 लाख मत्स्य बीज, लघु शीर्ष-796 में उत्पादित 1310 लाख मत्स्य बीज का 80 प्रतिशत् अर्थात् 1048 लाख मत्स्य बीज एवं लघु शीर्ष-101 में उत्पादित बीज 890 लाख का 80 प्रतिशत् अर्थात् 712 लाख मत्स्य बीज अर्थात् कुल 2000 लाख मत्स्य बीज मो⁰ 10,000/- (दस हजार) रु० प्रति लाख की दर से बिकी कर मो⁰ 200.00 लाख (दो करोड़) रु० का राजस्व प्राप्त किया जायेगा।

शेष 500 लाख मत्स्य बीज अनुदान पर वैसे अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा, जो नगद राशि पर मत्स्य बीज का क्य किए हों। अस्सी हजार मत्स्य बीज क्य करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य कृषकों को बीस हजार मत्स्य बीज शत-प्रतिशत् अनुदान पर देय होंगे। यह अनुपातिक रूप से जिलावार इस कोटि के लक्ष्य के अधीन होगा।

7. निजी क्षेत्र के प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों के द्वारा कुल 461.25 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कुल 1845 करोड़ मत्स्य स्पॉन प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को सरकारी तथा गैर सरकारी हैचरी से अधिकतम् 550/-रु० प्रति लाख स्पॉन की अनुमानित दर से उत्पादन/जिला स्तरीय निविदा द्वारा क्य कर आपूर्ति करने की योजना है। आपूर्ति किये जाने वाले स्पॉन के मूल्य का 90 प्रतिशत् व्यय का वहन सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत् मूल्य का वहन लाभुक मत्स्य बीज उत्पादक द्वारा किया जायेगा। समान मूल्य दर पर स्थानीय हैचरी संचालकों को प्राथमिकता दी जायेगी। राज्य के 123 पोर्टेबल मत्स्य बीज हैचरियों से 123 करोड़ मत्स्य स्पॉन उत्पादन तथा विभागीय हैचरियों के रख-रखाव (ब्रूडर तथा प्रेरित प्रजनन सहित) एवं इनसे 51 करोड़ मत्स्य स्पॉन का उत्पादन किया जाएगा। प्रति करोड़ मत्स्य स्पॉन उत्पादन हेतु अधिकतम् 40,000/- रु० की दर से अथवा वास्तविक व्यय जो कम हो, का व्यय किया जाएगा। पोर्टेबल हैचरी से उत्पादित स्पॉन की बिक्री से प्राप्त आय संबंधित हैचरी संचालक समूह के बैंक खाते में जमा होगी ताकि इस समूह के हैचरी कार्य से इन्हें स्थानीय रोजगार उपलब्ध हो सके। अवशेष राशि हैचरी के रख-रखाव एवं अगले चक्र हेतु उपयोग की जायेगी।

7500 मत्स्य बीज उत्पादकों को मत्स्य स्पॉन से मत्स्य बीज की तैयारी, निकासी एवं बिक्री हेतु 2000/-रु० का फैक्ट्री फॉर्मूलेटेड फीड दिया जायेगा, साथ ही जाल आदि के क्य पर अधिकतम् 2000/-रु० अनुदान प्रति बीज उत्पादक की दर से जिला स्तर पर निविदा आमंत्रित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

8. (क) मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सक्रिय सदस्यों/बीज उत्पादकों के माध्यम से जलाशयों में in-situ मत्स्य बीज का उत्पादन/संचयन कराया जायेगा। इस पर प्रति लाख स्पॉन से मत्स्य बीज के उत्पादन पर अधिकतम् मो⁰ 800/- रु० मात्र की अनुमानित दर से विभागीय रूप से व्यय किया जायेगा। चयनित स्थल, संचित किये गये स्पॉन, की गई आवश्यक तैयारी तथा फोटोग्राफ्स आदि से संबंधित अभिलेख तैयार करने की जिम्मेवारी संबंधित क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी। इस कार्यक्रम के भौतिक ऑकड़ों/उपलब्धियों का अंकन अभिलेख का आवश्यक अंग होगा। स्थल चयन मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सक्रिय सदस्यों/बीज उत्पादकों तथा संबंधित क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी एवं उसका भी ब्यौरा अभिलेख में संधारित किया जायेगा। इसीप्रकार नदियों में भी in-situ मत्स्य बीज का उत्पादन/संचयन कराया जायेगा। इस पर प्रति लाख स्पॉन से मत्स्य बीज के उत्पादन पर अधिकतम् मो⁰ 700/- रु० मात्र की अनुमानित दर से विभागीय रूप से व्यय किया जायेगा।

4/2

92

✓

bv

(ख) जिला मत्स्य पदाधिकारी अपने जिले के जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन के प्राप्त भौतिक लक्ष्य को प्राथमिकता के आधार पर बड़े जलाशयों, मध्यम जलाशयों एवं छोटे जलाशयों में संचयन हेतु विभाजित करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि अधिक से अधिक जलाशयों में समानुपातिक रूप से अंगुलिकाओं का संचयन संभव हो। उप मत्स्य निदेशक (जलाशय)/निदेशक मत्स्य द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन हेतु आवश्यक संख्या का अनुमोदन किया जाएगा। निदेशक मत्स्य द्वारा जलाशयों में अंगुलिकाओं के ससमय संचयन हेतु आवश्यकतानुसार दिशा निर्गत किया जायेगा।

(ग) पुराने आर0एफ0एफ0 में इनपुट्स (यथा मत्स्य बीज, पूरक आहार आदि) हेतु संलग्न परिशिष्टों में अंकित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप प्रति यूनिट अधिकतम 25,000/- रु0 अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, की दर से कार्य संपादित किए जायेंगे।

(घ) जलाशयों/नदियों के छाड़न हेतु स्पॉन का क्य जिला स्तर पर निविदा के माध्यम से प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

(ङ.) इस योजना के अन्तर्गत आकस्मिकता मद की स्वीकृत राशि से पर्यवेक्षण, फोटोग्राफी, डाटा इन्ट्री इत्यादि कार्य किए जाएंगे।

9. मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन जिला स्तर पर पूर्व से उपायुक्त द्वारा गठित समिति एवं जलाशय के निबंधित सहयोग समिति के सदस्यों की उपस्थिति में किया जायेगा। संचयन के कार्यक्रम से जिले के उपायुक्त को सचिका के माध्यम से अवगत कराया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार नई समिति का गठन उपायुक्त की सहमति से किया जा सकेगा।

10. (क) पंगेशियस/GIFT तिलापिया/अन्य उपायुक्त बीज तथा अन्य मेजर/ग्रास कार्प की अंगुलिकाओं के क्य हेतु जिला स्तर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर “इच्छा की अभिव्यक्ति” आमंत्रित की जायेगी। समान मूल्य दर पर स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादकों/प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख) संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी संचयन एवं in-situ बीज उत्पादन के फोटोग्राफ्स (Latitude – longitude सहित)/विडियोग्राफ्स/पंजी आदि संधारित कराकर सुरक्षित रखेंगे।

(ग) एक मत्स्य बीज उत्पादक से न्यूनतम 50 हजार तथा अधिकतम 02 लाख मत्स्य बीज (मेजर कार्प अंगुलिका) ही क्य किये जायेंगे।

(घ) विगत वर्षों की भाँति ही समितियों एवं उनके सदस्यों को दिए जाने वाले 126 नाव हेतु प्रति नाव की अनुमानित इकाई लागत 33,000/- (तैतीस हजार) रु0 होगी जिसमें सरकारी सहायता अधिकतम् 30,000/- (तीस हजार) रु0 प्रति नाव होगी। शेष राशि मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा उनके सदस्यों के द्वारा स्वयं वहन किया जायगा।

(ङ.) केज रिपेयरिंग की अनुमानित लागत पैंतीस हजार रु0 है जिसमें सरकारी सहायता अधिकतम् 25,000/- (पच्चीस हजार) रु0 की होगी। शेष राशि केज लाभुकों/धारक समितियों के द्वारा स्वयं वहन किया जायगा। केज रिपेयरिंग के लिए इच्छुक लाभुक जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन देंगे। प्राप्त आवेदनों की स्थल जाँच प्रभारी मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक अथवा आवश्यकतानुसार जिला मत्स्य पदाधिकारी स्वयं लाभुक के साथ ससमय करेंगे। मरम्मति योग्य केज का लाभुकवार केज रिपेयरिंग के अभिलेख तैयार किए जायेंगे। अभिलेख में लाभुक का आवेदन, केज का फोटोग्राफ् (Latitude – longitude सहित), रिपेयरिंग कार्य में प्रयुक्त होने

वाली सामग्रियों की सूची (दर सहित), मजदूरी पर व्यय की गई राशि, केजों की कुल संख्या एवं रिपेयरिंग के उपरांत फोटोग्राफ़ तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी की टिप्पणी सहित लाभुक का कार्य सम्पादित का आवेदन संधारित किये जायेंगे। केज रिपेयरिंग में प्रयुक्त सामग्रियों/मजदूरी का भुगतान केज अधिष्ठापन के वर्तमान प्राक्कलन/अधिसूचित दर के आधार पर वास्तविक अथवा अधिकतम मो 25000/-रु० प्रति केज बैटरी, जो भी कम हो किया जायेगा तथा शेष राशि केज लाभुकों/धारक समितियों के द्वारा स्वयं वहन की जायेगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी केज रिपेयर में हुए कार्यों में लाभुकों के अंशदान के समानुपातिक राज्य सहायता सुनिश्चित करेंगे।

(च) जलाशयों में वर्ष 2016-17 के पूर्व निर्मित केजों के लिए कम से कम 6 मीटर x 4 मीटर x 4 मीटर साईंज के 45 Ply के 12-24 mm eye size नायलॉन, 210 D नायलॉन knotted / knotless (लाभुक के इच्छानुसार) ग्रो-आउट नया नेट लगाना आवश्यक है। एक लाभुक को अधिकतम् दो नये ग्रो-आउट नेट ही देय होंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में निदेशक मत्स्य द्वारा ग्रो आउट नेट की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित “इच्छा की अभिव्यक्ति” में 45 Ply के knotted ग्रो-आउट नेट हेतु निर्धारित न्यूनतम दर 30,425/- रुपये का 75 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 22,819/- रुपये का स्वीकृत अनुदान देय होगा तथा शेष लाभुक का अंशदान होगा। केज मत्स्य पालक अगर knotless ग्रो-आउट नेट क्रय करते हैं तो उनके अनुदान की गणना उक्त दर 30,425/- रुपये प्रति नेट के आधार पर ही की जाएगी।

लाभुकों का चयन जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में संबंधित जलाशय के केज के क्षेत्र की मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष/सचिव अथवा दोनों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। वैसे केज लाभुक जिनके पास वर्ष 2016-17 के पूर्व अर्थात् वर्ष 2015-16 तक के निर्मित केज हों तथा केजों में वर्तमान में मछली पालन किया जा रहा है। साथ ही लाभुक द्वारा अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत वर्षों का केज में मछली उत्पादन का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो। केज मत्स्य पालकों द्वारा उपरोक्त निर्धारित मूल्य के नये ग्रो-आउट नेट के क्रय का अभिश्व प्रस्तुत करने पर अनुदान की राशि उनके बैंक खाते में डी०बी०टी० की जाएगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षक के द्वारा ग्रो-आउट नेट का भौतिक सत्यापन अनुदान विमुक्त करने के पूर्व किया जाएगा।

(छ) जलाशयों में मछली पालन के दौरान मत्स्य पालकों की सुरक्षा तथा आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा की जाने वाली मोटरचालित नाव की मांग को ध्यान में रखते हुये जलाशय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को 4 से 6 सीटर क्षमता वाले मोटरचालित नाव {FRP Boat, Size- 14'-0" x 5'-4" x 2'-0" के साथ 9.9 HP OBM HIDEA Manual Rope Start 2 Stroke Petrol operated तथा Accessories-Oars (2 Nos.) एवं PP Rope-50 Ft.} उपलब्ध कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में निदेशक मत्स्य द्वारा मोटरचालित नाव की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित “इच्छा की अभिव्यक्ति” में निर्धारित न्यूनतम दर 4,45,000/- रुपये का 90 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 4,00,500/- रुपये का स्वीकृत अनुदान देय होगा तथा आवश्यक शेष 10 प्रतिशत राशि का वहन लाभुक समितियों द्वारा स्वयं किया जाएगा।

लाभुक मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का चयन जिले के उपायुक्त द्वारा किया जाएगा। इसके लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएँगे। इस हेतु चयन समिति का गठन उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा कराया जाएगा। बोट के संचालन तथा रख-रखाव की जिम्मेवारी संबंधित लाभुक मत्स्यजीवी सहयोग समिति की होगी।

4/11c

72

9

6

(ज) इसी प्रकार जलाशयों में मछली की शिकारमाही करने वाले जलाशय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों/सदस्यों/विस्थापितों तथा कोविड-19 के प्रवासी मजदूरों को मछली की शिकारमाही हेतु प्रति लाभुक अधिकतम 05 कि0 ग्रा0 गिल नेट (Fish Net Nylon Poly, Twin size 1/3, Mesh size 75mm – 150 mm, M.D 100) हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाना है। इस स्पेशिफिकेशन के गिल नेट के क्षय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में निदेशक मत्स्य द्वारा इकाई लागत निर्धारित करने के लिए आमंत्रित “इच्छा की अभिव्यक्ति” में निर्धारित न्यूनतम दर 638/- रुपये के विरुद्ध 90 प्रतिशत की आर्थिक सहायता अर्थात् 2871/- रु0 दी जाएगी एवं आवश्यक शेष 10 प्रतिशत राशि का वहन लाभुकों द्वारा स्वयं किया जाएगा।

लाभुकों का चयन जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में संबंधित जलाशय के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष/सचिव अथवा दोनों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। लाभुक को अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत दो वर्षों का मछली शिकारमाही का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। उपरोक्त उल्लिखित स्पेशिफिकेशन के नये 05 कि0 ग्रा0 गिल नेट क्षय का अभिश्रव प्रस्तुत करने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मचारी के सत्यापन उपरान्त अनुदान की राशि लाभुकों के बैंक खाते में ढी0बी0टी0 की जाएगी।

(झ) पूर्व में वर्ष 2015-16 तक विभिन्न जलाशयों में केज हाउस का निर्माण कराया गया है। किन्तु वर्ष 2016-17 से केन्द्र प्रायोजित ब्लू रेभोल्यूशन योजना एवं एन0एफ0डी0बी0 द्वारा राज्य के विभिन्न जलाशयों में निर्मित केजों के साथ केज हाउस निर्मित नहीं हैं। इन केजों में मछलियों के आहार (Fish Feed) को रखने की व्यवस्था तथा केज पालकों के ठहरने हेतु केज हाउस आवश्यक है। केज हाउस के अधिष्ठापन से जलाशयों में अधिष्ठापित केजों में मछली पालन की निगरानी भी अच्छे तरीके से की जा सकेगी। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष शाखा, हजारीबाग द्वारा राज्य में लागू वर्तमान अनुसूचित दर पर मो0 5,06,800/- रुपये मात्र प्रति केज हाउस (मछली पालन हेतु केज सम्मिलित नहीं) के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

निदेशक मत्स्य द्वारा उपरोक्त तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के विरुद्ध केज हाउस (मछली पालन हेतु केज सम्मिलित नहीं) की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित “इच्छा की अभिव्यक्ति” में निर्धारित न्यूनतम दर 5,06,000/- रुपये पर अधिकतम 90 प्रतिशत अनुदान देय होगा तथा शेष 10 प्रतिशत लाभुक का अंशदान होगा। साथ ही लाभुक द्वारा अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत वर्षों का केज में मछली उत्पादन का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो। पूर्व के वैसे केज लाभुक जिन्हें केज हाउस का लाभ नहीं मिला है, उन्हें इस केज हाउस का लाभुक बनाया जा सकता है।

ध्यान रखा जाए कि जहाँ पूर्व से केज हैं, वहीं केज हाउस का निर्माण कराया जाय और मोटरबोट उपलब्ध कराई जाए। Cluster पद्धति से ही कार्य कराया जाय ताकि इनका समुचित अनुश्रवण हो सके। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के guidelines में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ज) नये आर0एफ0एफ0 के लिए प्रति चालीस मी0 गुणा पाँच मी0 के नेट के साथ इनपुट व्यय सहित इकाई लागत मो0 86000/- रु0 अनुमानित है। इस योजना के अन्तर्गत आकस्मिकता मंद की स्वीकृत राशि से परिवर्क्षण, फोटोग्राफी (Latitude – longitude सहित), डाटा इन्ट्री इत्यादि कार्य किए जाएँगे। योजना का दोहरीकरण नहीं किया जाय।

(ट) अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) के तहत आवश्यकतानुसार कार्यों के साथ-साथ क्षय आदि की विहित प्रक्रिया का पालन करते हुये सोलर लाईट अधिष्ठापन का कार्य किया जायेगा।

- (ठ) योजना के अंतर्गत उपर्युक्त कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर मत्स्य निदेशालय द्वारा जिलों को अनुदेश जारी किये जायेंगे।
- (ड) प्राथमिक स्तर पर प्रखण्ड प्रभारी मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक एवं द्वितीय स्तर पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण तथा स्थल निरीक्षण किया जाएगा। मदवार प्रगति के आँकड़ों का मासिक संकलन जिला स्तर पर करते हुए इसका प्रतिवेदन निदेशक मत्स्य को प्रेषित किया जाएगा।

निदेशालय स्तर पर उप मत्स्य निदेशक, योजना, प्रसार एवं अनुश्रवण/जलाशय/ सहायक मत्स्य निदेशक (तकनीकी) इस योजना के अंतर्गत राज्य के भौतिक उपलब्धियों की साप्ताहिक समीक्षा कर प्रतिवेदन निदेशक मत्स्य को उपलब्ध करायेंगे तथा भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करायेंगे। निदेशालय स्तर पर आवश्यकतानुसार योजना के विभिन्न एवं आवश्यक कम्पोनेट्स का समय-समय पर मूल्यांकन कराया जाएगा।

11. झारखण्ड दिव्यांग नीति के तहत इच्छुक दिव्यांगों को योजनाओं में तीन प्रतिशत तक का लाभ दिया जा सकेगा।
12. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये दर का निर्धारण कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
13. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में जायेगी।
14. Covid 19 महामारी के कारण योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में राशि की निकासी से संबंधित दिशा निर्देश/आदेश के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी। इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।
15. विषयगत योजना कार्यान्वयन के क्रम में मशीन, उपस्कर इत्यादि के क्रय योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, रॉची द्वारा निर्धारित मानकों/शर्तों/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक पालन किया जाए।
16. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जायेगी। इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः दोषी होंगे।
17. वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही आवंटन निर्गत किया जायगा। किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो।
18. योजना के अन्तर्गत कोई राशि अग्रिम के समायोजन हेतु लंबित नहीं है।
19. योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत बजट उपबंध मो0 3600.00 लाख रु0 (संशोधित बजट उपबंध मो0 3528.00 लाख रु0) मात्र में से मो0 3178.009 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया।
20. प्रशासी विभाग यह आश्वस्त हो लें कि विषयगत योजना कार्यान्वयन के क्रम में योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, रॉची के आदेश संख्या-810/वि0 दिनांक 30.04.2020 में निहित निर्देशों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन हो रहा हो।
21. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

3^

12

1
✓

bv

22. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना ज्ञापांक 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
23. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
24. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

16
(अबुबकर सिद्दीख पी०)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 01/रा०(क१) मत्स्य / रौची, दिनांक 07.06.2021

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 01/रा०(क१) मत्स्य / रौची, दिनांक 07.06.2021

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रौची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रौची/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 01/रा०(क१) मत्स्य / रौची, दिनांक 07.06.2021

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित योजना-सह-वित्त विभाग (बजट शाखा वित्त प्रभाग) झारखण्ड, रौची/आ० वि० सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकरिता विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 01/रा०(क१) मत्स्य / रौची, दिनांक 07.06.2021

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव के सचिव/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, रौची के सचिव एवं सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकरिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

16
सरकार के सचिव

२४०५-मछली पालन-लातु शीर्ष-१०-अत्यंदीर्घ मछली पालन-उप शीर्ष-०६-तालाब तथा जलाशय भूम्ब का विकास एवं जीवाणुबायोजना अंगता विज्ञान विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया।

क्र०	कार्य	विवरण शीर्ष-०३-प्रशासनिक व्यय-२३-आपूर्ति एवं समग्री										योग
		१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
१	विभागीय मत्स्य शीज उत्पादन का भौतिक लक्ष्य (स० लाख मे)	120	70	60	80	130	80	60	50	50	110	890
२	विभागीय मत्स्य शीज उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (एशी लाख ५० मे)	10,800	6,300	5,400	7,200	11,700	7,200	5,400	4,500	4,500	9,900	80,100
३	मत्स्य शीज उत्पादन की शहरां का भौतिक लक्ष्य (स० मे)	400	280	310	360	250	340	280	340	300	360	3500
४	मत्स्य शीज उत्पादन को अपार्टमेंट कोड तथा जल का वित्तीय लक्ष्य जल का भौतिक लक्ष्य (स० करोड मे)	16,000	11,200	12,400	14,400	10,000	13,600	11,200	13,600	12,000	14,400	140,000
५	मत्स्य शीज उत्पादन को अपार्टमेंट कोड तथा जल का वित्तीय लक्ष्य (स० करोड मे)	10,000	7,000	7,750	9,000	6,250	8,500	7,000	8,500	7,500	9,000	87,500
६	मत्स्य शीज उत्पादन अपार्टमेंट कोड तथा लक्ष्य (एशी लाख ५० मे)	49,500	34,650	34,650	38,363	44,550	30,938	42,075	34,650	42,075	37,125	44,550
७	पार्टेन लैंडों से मत्स्य उत्पादन का भौतिक लक्ष्य (एशी लाख ५० मे)	9	5	6	4	7	6	5	4	2	8	63
८	पार्टेन लैंडों से मत्स्य उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (एशी लाख ५० मे)	3,600	2,000	2,400	1,600	2,800	2,400	2,000	1,600	0,800	3,200	25,200
९	विभागीय हैबरी का वित्तीय लक्ष्य (द्वितीय तथा प्रीति प्रत्यन लहिरा) एवं स्पैन उत्पादन का भौतिक लक्ष्य (स० करोड मे)	4	3	0	0	4	0	2	0	2	4	21
१०	विभागीय हैबरी का वित्तीय लक्ष्य (एशी लाख ५० मे)	1,600	1,200	0,000	0,000	1,600	0,000	0,800	0,000	0,800	1,600	8,400
११	जलसंरक्षण का छाड़न (ग्रा-कार्यालय) में मत्स्य उत्पादन के सचयन का भौतिक लक्ष्य (एशी लाख ५० मे)	42	11	25	10	28	8	22	9	11	6	20
१२	जलसंरक्षण का छाड़न (ग्रा-कार्यालय) में मत्स्य उत्पादन के सचयन का वित्तीय लक्ष्य (एशी लाख ५० मे)	33,600	8,800	20,000	8,000	22,400	6,400	17,600	7,200	8,800	4,800	16,000
१३	नवियों के छाड़न (ग्रा-कार्यालय) में मत्स्य उत्पादन के सचयन का भौतिक लक्ष्य (स० करोड मे)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	5.50
१४	नवियों के छाड़न (ग्रा-कार्यालय) में मत्स्य उत्पादन के सचयन का वित्तीय लक्ष्य (एशी लाख ५० मे)	0.350	0.350	0.350	0.350	0.350	0.350	0.350	0.350	0.350	0.350	3,850
१५	जलसंरक्षण में योजनावाकासी का मत्स्य अनुलिङ्गिकों का सचयन का भौतिक लक्ष्य (स० लाख मे)	35	12	25	12	28	10	22	11	14	11	20
१६	जलसंरक्षण में योजनावाकासी का मत्स्य अनुलिङ्गिकों का सचयन का वित्तीय लक्ष्य (एशी लाख ५० मे)	26,250	9,000	21,000	7,500	16,500	8,250	10,500	8,250	10,500	15,000	150,000
१७	जलसंरक्षण में योजनावाकासी का मत्स्य अनुलिङ्गिकों का सचयन का भौतिक लक्ष्य (एशी लाख ५० मे)	9	6	6	4	7	3	7	3	3	4	55
१८	जलसंरक्षण में योजनावाकासी का मत्स्य अनुलिङ्गिकों का सचयन का वित्तीय लक्ष्य (एशी लाख ५० मे)	13,500	9,000	6,000	10,500	4,500	10,500	4,500	4,500	4,500	6,000	82,500
१९	वीजों का सचयन का भौतिक लक्ष्य (स० लाख मे)	14,90	8,60	18,70	3,00	18,50	3,00	8,50	3,00	1,05	0,70	9,40
२०	जलसंरक्षण तक पुलाने के लिये विभागीय लक्ष्य (स० लाख मे)	22,350	12,900	28,050	4,500	27,750	4,500	12,750	4,500	1,575	1,050	14,100
२१	जलसंरक्षण तक पुलाने के लिये विभागीय लक्ष्य (एशी लाख ५० मे)	30	20	25	14	25	14	22	10	10	20	200
२२	जलसंरक्षण तक पुलाने के लिये विभागीय लक्ष्य (एशी लाख ५० मे)	7,500	5,000	6,250	3,500	6,250	3,500	5,500	2,500	2,500	5,000	50,000
२३	मजाहिदासू चामोत्तोषीय / सचयन का भौतिक लक्ष्य (स० मे)	5	4	5	3	5	2	4	2	3	3	43
२४	मजाहिदासू चामोत्तोषीय / सचयन को लिये नाव का भौतिक लक्ष्य (एशी लाख ५० मे)	1,800	1,200	1,500	0,900	1,800	0,600	1,200	0,600	0,900	0,900	12,900
२५	वर्ष २०१६-१७ के दूर नियन्त्रित कोंक के लिये ग्रा-आरट देर का भौतिक लक्ष्य (स० मे)	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	8
२६	वर्ष २०१६-१७ के दूर नियन्त्रित कोंक के लिये ग्रा-आरट देर का वित्तीय लक्ष्य (स० मे)	0.0000	0.0000	0.9128	0.0000	0.9128	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1,826
२७	मजाहिदासू समीक्षियों के लिये मोटरवाहिनी नाव का भौतिक लक्ष्य (स० मे)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
२८	मजाहिदासू समीक्षियों / सचयन को लिये नियन्त्रित कोंक का भौतिक लक्ष्य (स० मे)	4,0050	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4,0050	8,010
२९	मजाहिदासू समीक्षियों / सचयन को लिये नियन्त्रित कोंक का भौतिक लक्ष्य (एशी लाख ५० मे)	6	5	6	4	6	5	6	4	4	6	56
३०	मजाहिदासू समीक्षियों / सचयन को लिये नियन्त्रित कोंक का भौतिक लक्ष्य (एशी लाख ५० मे)	0.17226	0.14355	0.17226	0.11484	0.17226	0.14355	0.17226	0.11484	0.11484	0.17226	1,6078
३१	कोंक राज्य समीक्षियों का भौतिक लक्ष्य (स० मे)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
३२	कोंक राज्य समीक्षियों का भौतिक लक्ष्य (एशी लाख ५० मे)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4,554	0.000	4,554	0.000	13,662
३३	नए विद्युत नियन्त्रित कोंक राज्य का भौतिक लक्ष्य (स० मे)	8	0	0	0	5	0	0	0	0	0	13
३४	नए विद्युत नियन्त्रित कोंक राज्य का भौतिक लक्ष्य (एशी लाख ५० मे)	6,880	0.000	0.000	0.000	4,300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11,180
३५	कार्यालयों / प्रस्त्रों के अनुसारा सम्मिलित एवं सुसंगठितण्य (सामग्री) (लोअल लाइट आर्टिक) (एशी लाख ५० मे)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
३६	कोंक विद्युतीय कार्यालयों का भौतिक लक्ष्य (स० मे)	24	20	20	0	24	0	20	17	0	0	45
३७	कोंक लियन्यारा का लियन्यारा लक्ष्य (एशी लाख ५० मे)	6,000	5,000	5,000	0.000	6,000	0.000	5,000	4,250	0.000	0.000	5,000
३८	पारिवारिक कार्यालयों का भौतिक लक्ष्य (एशी लाख ५० मे)	7,000	6,000	6,000	1,000	7,000	1,000	6,000	5,250	1,000	1,000	47,250
३९	विद्युत शीर्ष-०७-व्यय व्यय-५०-अन्य व्यय	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
४०	पारिवारिक कार्यालयों हेतु आपकोसिका व्यय (एशी लाख ५० मे)											
	कुल व्यय (वित्तीय लक्ष्य)	197,9073	101,7436	138,6550	91,9273	170,4850	82,5851	131,0473	81,2648	96,3688	82,2438	135,7773
	विद्युत शीर्ष-०८-व्यय व्यय-५०-अन्य व्यय											
	कुल व्यय (वित्तीय लक्ष्य)	205,9073	108,7436	145,6550	93,9273	178,4850	84,5851	138,0473	87,5148	98,3688	84,2438	142,7773

नोट:- काण्डीकेता राशि को आवंटन नहीं भरमझा जाय

(३)

प्रारंभिक — II
वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत संसद-53-के पैशलपन एवं सहकारिता विभाग (एससी प्रभाग) — प्रथम शीर्ष 2405-नाइटो पालन-लघु शीर्ष-796-प्रबन्धित विभाग के उपचायेना—द्वय शीर्ष-08—दालाव वर्षा जलाशय मन्त्र्य का विकास एवं जीवन्मंदिर योजना अंतर्गत विभाग भारीक एवं वित्तीय लक्ष

क्र.	कार्य	वर्ष													पैमाना	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	विस्तृत शीर्ष-०३—प्रभावशेषक वर्ष-२३—आपूर्ति एवं सामग्री	सेवी	चौटी	पुराणा	पिंडदेवा	लोहदग्धा	सातोदार	बाईदग्धा	जनसेवक	दुष्कर्ता	जनसाक्षात्	जनसेवण	पद्मदंड	महिलाओं	पाँ	
2	विस्तृत शीर्ष वीज वितरण का वित्तीय लक्ष्य (एवं लाभ रुप)	120	50	250	95	55	65	105	90	60	100	80	60	60	110	
3	प्रभाव वीज उत्पादकों की सम्भावा का वित्तीय लक्ष्य (सेवा रुप)	10,800	4,500	23,400	8,550	4,950	5,850	9,450	8,100	5,400	9,000	7,200	5,400	5,400	9,900	
4	प्रभाव वीज उत्पादकों का वित्तीय लक्ष्य (एवं लाभ रुप)	282	130	250	190	180	230	328	260	370	250	180	170	0	3000	
5	प्रभाव वीज उत्पादकों को सम्भावा का वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	11,280	5,200	10,800	7,600	7,200	9,200	13,120	10,400	14,800	20,000	7,200	6,800	0,000	120,000	
6	प्रभाव वीज उत्पादकों को सम्भावा का वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	7050	3250	6250	4750	4500	5600	8000	6500	9600	6250	4500	4500	4230	0	
7	प्रभाव वीज उत्पादकों का वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	34,898	16,088	30,938	23,513	22,275	27,720	39,600	32,175	47,520	30,938	22,275	22,275	21,038	0,000	
8	प्रभाव वीज उत्पादकों को सम्भावा का वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	2,800	1,200	1,200	1,600	1,600	1,600	2,800	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	0,000	
9	विस्तृत शीर्ष-०५—प्रभावशेषक वर्ष-२३—आपूर्ति एवं सामग्री	भारीक जलवाया (रुप रुप)	मानविक जलवाया (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	24,000	
10	विस्तृत शीर्ष वीज उत्पादकों का वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	5	0	5	0	0	3	3	0	3	0	0	0	5	30	
11	विस्तृत शीर्ष वीज उत्पादकों का वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	प्रोत्तिक जलवाया (रुप रुप)	200	
12	जलवाया के छाड़न (रुप-शीर्ष) में प्रभाव वीज उत्पादकों का वित्तीय लक्ष्य (रोपी लाभ रुप)	32,000	5,600	8,000	8,000	4,800	8,000	16,800	8,000	40,000	12,800	9,600	0,000	6,400	0,000	
13	नदीयों के छाड़न (रुप-शीर्ष) में प्रभाव वीज उत्पादकों का वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	
14	नदीयों के छाड़न (रुप-शीर्ष) में प्रभाव वीज उत्पादकों का वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	0.350	0.350	0.350	0.350	0.350	0.350	0.350	0.350	0.350	0.350	0.350	0.350	0.350	4,550	
15	जलवाया में प्रभाव वीज उत्पादकों का वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	38	13	14	13	12	11	20	14	42	24	14	0	10	0	
16	जलवाया में प्रभाव वीज उत्पादकों का वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	28,500	9,750	10,500	9,750	9,000	8,250	15,000	10,500	31,500	18,000	10,500	0,000	7,500	0,000	
17	जलवाया में प्रभाव वीज उत्पादकों का वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	8	1	1.5	1.5	1	1	4	1	10	4	1	0	1	0	
18	जलवाया में प्रभाव वीज उत्पादकों का वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	12,000	1,500	2,250	2,250	1,500	1,500	6,000	1,500	15,000	6,000	1,500	0,000	1,500	0,000	
19	जलवाया में प्रभाव वीज उत्पादकों का वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	9,40	2.20	2.20	2.80	4.90	0.00	5.50	0.00	38.50	6.00	1.60	0.00	0.70	0.00	
20	जलवाया में प्रभाव वीज उत्पादकों का वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	14,100	3,300	3,300	4,200	7,350	0.000	8,250	0.000	57,750	9,000	2,400	0.000	1,050	0.000	
21	प्रभाव वीज उत्पादकों का वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	30	8	14	14	10	14	20	12	40	10	10	8	0	200	
22	प्रभाव वीज उत्पादकों का वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	7,500	2,000	3,500	3,500	2,500	3,500	5,000	3,000	10,000	2,500	2,500	2,000	0,000	50,000	
23	प्रभाव वीज उत्पादकों का वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	8	3	4	4	4	3	6	3	15	8	4	6	2	70	
24	प्रभाव वीज उत्पादकों का वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	2,400	0.900	1,200	1,200	1,200	0.900	1,800	0.900	4,500	2,400	1,200	1,800	0.600	0,000	
25	ना. 2010-11 के पूर्व नियंत्रित कर्ता के वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	5	0	0	0	0	0	5	0	0	10	5	0	0	30	
26	ना. 2010-11 के पूर्व नियंत्रित कर्ता के वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	1,14095	0.000000	0.000000	0.000000	1,14095	0.000000	1,14095	0.000000	2,83190	1,14095	0.000000	0.000000	0.000000	6,8457	
27	ना. नियंत्रित कर्ता के वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	1	1	1	1	1	1	0	2	0	4	1	1	0	15	
28	ना. नियंत्रित कर्ता के वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	4,005	4,005	4,005	4,005	4,005	4,005	0.000	8,010	0.000	16,020	8,010	4,005	0.000	60,0750	
29	ना. नियंत्रित कर्ता के वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	20	8	8	8	8	6	20	5	30	15	10	0	10	150	
30	ना. नियंत्रित कर्ता के वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	0.57420	0.22968	0.22870	0.22968	0.22868	0.17226	0.57420	0.14395	0.86390	0.43665	0.28710	0.00000	0.28710	4,90650	
31	ना. हास्त नियंत्रित कर्ता के वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	1	1	1	1	1	1	0	2	0	4	2	0	0	15	
32	ना. नियंत्रित कर्ता के वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	4,554	4,554	4,554	4,554	4,554	4,554	0.000	9,108	0.000	18,216	9,108	4,554	0.000	68,3100	
33	ना. नियंत्रित कर्ता के वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	45	
34	ना. नियंत्रित कर्ता के वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	12,900	0.000	0.000	0.000	0.000	12,900	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	36,700	
35	ना. नियंत्रित कर्ता के वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	18,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	35,000	
36	ना. नियंत्रित कर्ता के वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	32	0	5	0	10	0	10	0	32	16	5	0	0	110	
37	ना. नियंत्रित कर्ता के वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	4,554	4,554	4,554	4,554	4,554	4,554	0.000	9,108	0.000	18,216	9,108	4,554	0.000	68,3100	
38	ना. नियंत्रित कर्ता के वित्तीय लक्ष्य (रुप रुप)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14,000	
	चुंगी गो (वित्तीय लक्ष्य)	181,80165	59,17638	105,48336	79,30118	72,65463	68,24226	151,10315	77,86855	280,25920	122,47710	76,37111	45,13000	59,07860	11,900	1390,88720
	सुपरी गो-०५—नियंत्रित-४३ अनुसंधान, मध्यस्थी एवं चुंगी गो (वित्तीय लक्ष्य)	8,000	0,000	1,250	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	8,000	0,000	4,000	1,250	0,000	0,000	27,500
	सुपरी गो-०७—जान्य गो-५०—जान्य गो (वित्तीय लक्ष्य)	26,000	1,000	2,250	1,000	3,500	1,000	3,500	1,000	9,000	5,000	2,250	1,000	1,000	5,000	62,500
	पारिषेन्या गो (वित्तीय लक्ष्य)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	14,000
	कुल गो (वित्तीय लक्ष्य)	206,80165	61,17638	108,7336	81,30118	77,15463	70,24226	155,60315	79,86855	291,25920	128,47710	79,6211	47,13000	61,07860	16,900	1467,38720

नोट - कण्णिकात राशि को आवंटन नहीं समझा जाय

क्र.	कार्य	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	दिसंसू वीथ-५४-प्रायोनिक वर्ष-२३-प्रायोनि-एप्सामी	राष्ट्री	बूटी	गुम्बा	रेसडोगा	लोहरदगा	लातोहर	चार्चावा	भमोपुर	सरसकोटा	दुम्पका	जामदारा	सांकेतिक	पांडुल	हानारीपा	समाद	कोहरमा	भित्ति	मिरेक्की	धनबाद	गोद्दा	पलामू	मद्दा	देवपर	यारा		
2	दिसंसू वीथ-५४-प्रायोनिक वर्ष-२३-प्रायोनि-एप्सामी	15	5	40	5	5	5	10	10	15	15	10	10	20	15	5	15	10	10	10	10	20	10	10	20	300	
3	मर्स्य वीथ लाल (१० लाल)	मर्स्य वीथ लाल (१० लाल)	1.350	0.450	3.600	0.450	0.450	0.450	0.900	0.900	1.350	1.350	0.900	0.900	1.800	1.350	0.450	1.350	0.900	0.900	0.900	1.800	0.900	0.900	1.800	27,000	
4	मर्स्य वीथ लाल (१० लाल)	4,000	1,600	2,000	0.800	1,600	1,200	1,200	2,000	1,200	1,200	1,200	1,600	2,800	1,200	2,000	2,000	2,000	1,800	1,800	1,200	1,800	1,200	1,800	1,200	40,000	
5	मर्स्य वीथ लाल (१० लाल)	2,200	880	1,100	440	880	660	660	660	1,100	660	660	660	880	1,540	660	1,100	990	990	660	440	1,100	990	660	440	1320	22,000
6	मर्स्य वीथ लाल (१० लाल)	10,890	4,356	5,445	2,178	4,356	3,267	3,267	5,445	3,267	3,267	3,267	3,267	4,356	7,623	3,267	5,445	5,445	5,445	4,901	4,901	3,267	2,178	6,534	108,900		
7	जलताप वीथ लाल (१० लाल)	2,72	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.75	1.75	1.25	4.00	1.75	1.50	1.25	1.25	2.72	1.75	1.75	1.25	2.50	1.50	2.00	1.50	1.50	2.75	43,69
8	जलताप के छाड़ा (ग्री-कॉट्टी) में मर्स्य	2,176	1,200	1,200	1,200	1,200	1,400	1,000	3,200	1,400	1,200	1,000	1,000	2,176	1,400	1,400	1,000	2,000	1,200	1,600	1,200	1,200	1,200	1,200	2,000	34,952	
9	सीन का सधन का वीतीय लाल (१० लाल)	5	1	1	0	1	0	1	0	10	4	2	1	1	4	3	5	3	5	2	4	1	2	2	4	62	
10	जलताप के छाड़ा (ग्री-कॉट्टी) में मर्स्य	3,750	0.750	0.750	0.000	0.750	0.000	0.750	0.000	7,500	3,000	1,500	0.750	0.750	3,000	2,250	3,750	2,250	3,750	1,500	3,000	0.750	1,500	1,500	46,500		
11	जलताप ने नेत्र का मर्स्य (१० लाल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
12	जलताप ने गोंद का मर्स्य	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15,000		
13	जलताप ने गोंद का मर्स्य (१० लाल)	0.80	0.00	0.60	0.40	0.60	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.80	1.50	0.00	0.80	0.00	0.80	0.60	0.00	0.00	0.00	1.40	11,20	
14	जलताप ने गोंद का मर्स्य	1,200	0.000	0.900	0.600	0.900	0.000	0.000	2,700	0.000	0.000	0.000	0.000	1,650	1,200	2,250	0.000	1,200	0.900	0.000	0.000	2,100	16,800				
15	भाजित लाल (१० लाल)	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	2	1	1	0	0	0	2	0	1	13	
16	भाजित लाल (१० लाल)	0.300	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	0.600	0.300	0.300	0.000	0.000	0.600	0.000	0.000	0.300	3,900			
17	भाजित लाल (१० लाल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0	24	
18	भाजित लाल (१० लाल)	0.00000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	1.369	1.36914	0.000	1.36914	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5,47,656		
19	भाजित लाल (१० लाल)	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	6	0	6	0	0	0	0	0	7	51	
20	भाजित लाल (१० लाल)	0.17226	0.000	0.000	0.000	0.17226	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.22968	0.17226	0.17226	0.000	0.17226	0.000	0.000	0.000	0.000	0.201	1,46,421		
नोट :- कार्यालय द्वारा की अवधारणा नहीं समझा जाता।		कुल ग्री (मिस्ट्री-लाल)	23,833	8,356	13,695	5,228	9,7826	6,117	7,517	6,367	31,495	10,217	8,067	7,117	9,506	25,42868	11,60840	18,3660	8,917	17,13640	11,005	14,9490	11,3505	8,667	6,578	18,535	299,9277

(अधिकारी के लिए लाल)